न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री नरेश बुनकर ,
आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या — 16 / 2017

प्रार्थीः–	बनाम	अप्रार्थीगण
महेन्द्रसिंह पुत्र वेजराज,जाति राजपुरोहित,निवासी रायथल, तहसील आहोर,जिला जालोर		1.ग्राम पंचायत रायथल जरिये सरपंच / ग्रामसेवक, ग्राम पंचायत रायथल,तहसील आहोर,जिला जालोर 2.प्रतापसिंह पुत्र वजेराज 3.तारसिंह पुत्र वजेराज 4.अमृतसिंह पुत्र वजेराज 5.छगनसिंह पुत्र वजेराज 6.जबरसिंह पुत्र वजेराज(फौत) के कायम मुकामात्:– 6 / 1.प्यारीदेवी पत्नि जबरसिंह 6 / 2.राजेशकुमार पुत्र जबरसिंह (नाबालिग) जरिये कुदरती वली माता प्यारीदेवी 6 / 3.राजेश्वरी पुत्र जबरसिंह (नाबालिग) जरिये कुदरती वली माता प्यारीदेवी 7.वजेराज पुत्र फुआजी (फौत)के कायम मुकामः– 7 / 1. मगुदेवी पत्नि वजेराज, तमाम जातियान् राजपुरोहित, निवासीगण रायथल,तहसील आहोर, जिला जालोर

अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994
विरूद्ध आदेश सरपंच,ग्राम पंचायत रायथल दिनांक 25.5.2017(पट्टा सं.16)

उपस्थिति :–
1.श्री विक्रमसिंह राजपुरोहित,अभिभाषक, प्रार्थी की ओर से।
2.श्री नवीनकुमार गहलोत,अभिभाषक,अप्रार्थी सं.1 से 5, 6 / 1से 6 / 3,व 7 / 1 की ओर से।

निर्णय — दिनांक 27.11.2017

1. प्रार्थी के अनुसार निगरानी प्रार्थनापत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम रायथल की आबादी भूमि में प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं.2 से 7 का पुश्तैनी

रहवासी परिसर आया हुआ है। अप्रार्थी सं.2 एवं 3 प्रभावशाली व्यक्ति है ,ने ग्राम पंचायत से मिलावट कर सम्पूर्ण पुश्तैनी परिसर के तीन हिस्से बताकर उसमें से एक हिस्से का प्रार्थी की सहमति के बिना पट्टा पत्रावली पेश की,पट्टा पत्रावली के साथ मिथ्या शपथपत्र पेश कर सामलाती भूमि को अकेले के मालिकाना हक की बताकर तथ्यों को छिपाते हुए ग्राम पंचायत कार्यालय में पट्टा पत्रावली आवेदन किया। पट्टा पत्रावली पेश करने के बाद ग्राम पंचायत का यह विधिक व नैतिक दायित्व होता हैं कि वादग्रस्त भूखण्ड परिसर के बारे में विधिक उत्तराधिकारी एवं हकदार व्यक्तियों की जांच करनी होती है एवं इसके बाद सभी सगे भाईयों के सहमति पत्र बंटवाडा बाबत् प्रस्तुत करने होते है, इस कानूनी प्रकिया की पालना करने के बाद ही पैतृक सम्पति में व्यक्ति विशेष के नाम पट्टा जारी किया जा सकता है लेकिन ग्राम पंचायत ने उपरोक्त प्रकिया की पालना किये बगैर वादग्रस्त पट्टा जारी किया है। चूंकि वादग्रस्त परिसर में ग्राम पंचायत द्वारा दो हिस्सों में तारसिंह व प्रतापसिंह के नाम दो अलग–अलग पट्टे जारी किये गये है एवं एक हिस्से पर जबरसिंह का कब्जा बताया गया है। अप्रार्थी सं.2, प्रार्थी के हिस्से परिसर पर पट्टे की आड में जबरन कब्जा कर निर्माण कार्य करने का प्रयास कर रहा है। वादग्रस्त पट्टे के पडौस में कही पर भी रास्ता अथवा प्रवेश स्थान का उल्लेख भी नही किया गया है, इस प्रकार उतरदिशा में पडौसी जबरसिंह अप्रार्थी सं.6 के भूखण्ड को पडौस में जरूर बताया गया हैं लेकिन उसके भूखण्ड में जाने हेतु रास्ता भी नही दर्शाया गया है एवं रास्ते की भूमि को भी पट्टे में शामिल कर दिया गया है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 31.5.2017 को पट्टे की जानकारी प्राप्त होने पर नकल हेतु आवेदन किया एवं नकल प्राप्त कर निगरानी पेश की है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार कर पट्टा सं. 35 दिनांक 25.5.2017 को खारिज किये जाने का आदेश करावे। प्रार्थी ने निगरानी प्रार्थनापत्र के साथ शपथपत्र, हाथ से किये नक्शा शेड्यल'अ' तथा फहरिस्त मय पट्टे की नकल पेश की,इस पर निगरानी दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये व रैकार्ड तलब किया गया।

2. अप्रार्थी सं.2 के वकील ने दिनांक 19.6.17 को जवाब पेश किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी सं.2 एवं अन्य भाईयों की पुश्तैनी सामलाती भूमि आई हुई थी जिसमें अप्रार्थी सं.2 द्वारा प्रार्थी की सहमति के बिना पट्टा जारी करवाया था। वर्तमान में प्रार्थी,अप्रार्थी सं.2 के बीच वादग्रस्त पट्टा सं. 35 में विवादित भूमि बाबत् राजीनामा हो चुका है एवं आपसी पारिवारित बंटवाडे के

अनुसार पट्टा सं.35 में वर्णित पडौस के बीच की भूमि प्रार्थी महेन्द्रसिंह के हिस्से में आई हुई है एवं अप्रार्थी सं.2 के हिस्से में अन्य मकान आया है। अतःअप्रार्थी सं.2 के पक्ष में जारी पट्टा सं.35 दिनांक 25.5.2017 को निरस्त किया जावे। अतः प्रार्थी की निगरानी स्वीकार कर पट्टा सं.35 दिनांक 25.5. 2017 को निरस्त करावे।

3. अप्रार्थी सं.1—सरपंच,ग्राम पंचायत रायथल ने दिनांक 20.9.2017 को जवाब पेश किया कि अप्रार्थी सं.2—प्रतापसिंह के नाम ग्राम पंचायत रायथल द्वारा पट्टा सं.35दिनांक 25.5.2017 को जारी किया था। उक्त भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित भूमि थी। भाई बंट में पक्षकारान् के बीच समझौता की स्थिति में उक्त भूमि प्रार्थी महेन्द्रसिंह के हिस्से में आई है जिसका उल्लेख प्रतापसिंह ने भी अपने जवाब में किया है। अतः पट्टा सं.35 को निरस्त किये जाने पर ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नही है।

4. अप्रार्थी सं.3.4.5,7 की ओर से दिनांक 20.9.17 को जवाब पेश किया कि ग्राम रायथल में अप्रार्थीगण एवं प्रार्थी की शामलाती पुश्तैनी अविभाजित भूमि आई हुई है जिसका अप्रार्थी सं.2—प्रतापसिंह ने पट्टा सं.35 दिनांक 25.5.17 को जारी करवाया था। वर्तमान में पट्टा सं.35 की भूमि प्रार्थी महेन्द्रसिंह के बंट व हिस्से में आई है। अतः प्रार्थी की निगरानी स्वीकार कर पट्टा सं.35 को निरस्त करावे।

5. अप्रार्थी सं. 6/1, 6/2, 6/3 की ओर से दिनांक 20.9.17 को जवाब पेश किया कि ग्राम रायथल में अप्रार्थीगण व प्रार्थी की शामलाती पुश्तैनी भूमि आई हुई हैजिसका अप्रार्थी सं.2—प्रतापसिंह द्वारा पट्टा सं. 35दिनांक 25.5.2017 को जारी करवाया था। वर्तमान में भाई बंट में उक्त भूमि प्रार्थी महेन्द्रसिंह के बंट व हिस्से में आई है। अतः प्रार्थी की निगरानी स्वीकार की जाकर पट्टा सं.35 को निरस्त करावे।

6. उभयपक्ष के वकुलाय द्वारा लिखित बहस पेश की व बहस भी सुनी गई । प्रार्थी के वकील ने बहस में बताया कि वादग्रस्त पट्टा सं.35 की भूमि संयुक्त परिवार की अविभाजित पुश्तैनी भूमि थी जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थीगण का शामलाती हिस्सा बनता था लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा एक व्यक्ति के नाम पट्टा जारी कर दिया था जिसमें अन्य सभी हिस्सेदारों के हित प्रभावित हो रहे थे। वर्तमान में समस्त पक्षकारान् के आपस में सहमति से बंटवाडा हो चुका है एवं पट्टा सं.35 की भूमि प्रार्थी महेन्द्रसिंह के बंट में आई है। अतः पट्टा सं.35 निरस्त करावे। अप्रार्थीगण सं. 1से 7/1 तक के

वकील ने बहस में बताया कि ग्राम पंचायत रायथल द्वारा अप्रार्थी सं.2 के पक्ष में संयुक्त परिवार की अविभाजित भूमि का पट्टा जारी किया था। वर्तमान में सभी पक्षकारान् के मध्य आपसी सहमति से विभाजन हो चुका है। पट्टा सं.35 में वर्णित भूमि आपसी बंटवाडे के अनुसार प्रार्थी महेन्द्रसिंह के हिस्से में आई है,अतः पट्टा सं.35 को खारिज करावे।

7. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया व रैकार्ड का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी सं.2—प्रतापसिंह के पट्टे सबंधी मिसल का अवलोकन किया गया। प्रतापसिंह का एक प्रार्थनापत्र दिनांक 2.10.16 बाबत् पट्टा हासिल करने भूमि विक्रय विलेख संलग्न पत्रावली है, उक्त प्रार्थनापत्र किनको व कब पेश किया कोई मार्क अंकित नही है। प्रार्थनापत्र की तारीख 2.02.16 को कांट छांट कर 2.10.2016अंकित की गई है। उक्त मिसल की आदेशिका 4.10.2016 में मिसल दर्ज होकर आगामी बैठक में पेश होने का लिखा गया है। उक्त मिसल दिनांक 5.10.2016 को बैठक में पेश हुई ,प्रस्ताव सं.3में क्रम सं.10 पर प्रतापसिंह की पत्रावली सं.31 दायर दिनांक 4.10.2016अंकित है जबकि मूल मिसल में प्रतापसिंह की मिसल सं.30 अंकित है। दिनांक 5.10.2016 के बैठक कार्यवाही विवरण में मौका रिपोर्ट कमेटी द्वारा मौका करवाकर मंगवाई जाने का लिखा गया है लेकिन रजिस्टर के प्रस्ताव/मिसल में किन—किन तीन वार्डपंचो को स्थल निरीक्षण हेतु नियुक्त किया गया है, अंकित नही है।नियम 146 के अनुसार स्थल निरीक्षण हेतु पंचों को नामित करने का कार्य भी ग्राम पंचायत की बैठक में किया जाना होता है। अतः साफ जाहिर हैं कि नियम 146 की अनुपालना में स्थल निरीक्षण हेतु पंचों की नियुक्ति नही की गयी एवं न ही आवेदित स्थल का निरीक्षण किया गया। बैठक कार्यवाही रजिस्टर के प्रस्ताव सं.4 दिनांक 20. 10.16 में मौका स्थल रिपोर्ट दिनांक 20.10.2016 को पेश हुई , मौका रिपोर्ट देखने से स्पष्ट हैं कि मौका रिपोर्ट पर तीन अनपढ महिला के अंगुष्ठ निशान अंकित है, क्या ये महिला वार्ड पंच है या नही? अंकित नही है। इसके अलवा जब तीनो ही महिला अनपढ है तो मौका रिपोर्ट किसने तैयार की है। मौका रिपोर्ट में अप्रार्थी सं.2—प्रतापसिंह का मकान है या कब्जा है? विवरण अंकित नही है, अगर मकान बना हुआ है उसमे अप्रार्थी कितने वर्षो से रह रहे है, अंकित नही है तथा अप्रार्थी सं.2 प्रतापसिंह के कोई पानी व बिजली के बिल पुराना मकान होने के तौर पर सबूत में नही लिये गये है। प्रस्ताव में दिनांक 20.10.16 में मौका स्थल रिपोर्ट पेश होने पर 30 दिवस में आपत्तिया आमंत्रित करने हेतु लिखा गया है, मिसल में अंकित आपत्तियां

आमंत्रित करने का नोटिस ग्राम पंचायत रायथल के नोटिस बोर्ड व विक्रय स्थल पर दो व्यक्तियों के रूबरू चस्पा करने को कोई विवरण अंकित नही है।

8. राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 164 में ग्राम पंचायत की आबादी भूमि के विक्रय के प्रावधान है।ग्राम पंचायत रायथल द्वारा प्रश्नगत आवासीय भूमि का पट्टा जारी करने में इन नियमों की पालना नही की गई है।राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 145 के अन्तर्गत आबादी भूमि क्रय करने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होता है जिसके साथ स्थल निरीक्षण हेतु 25/–रू. की राशि जमा करवाना एवं आवेदन पत्र के साथ नक्शा संलग्न नही करने पर,नक्शा तैयार करने हेतु 25/–रू. जमा करवाना आवश्यक है। ग्राम पंचायत रायथल की मिसल सं. 30/4.10.16 में उपलब्ध प्रतापसिंह के आवेदन पत्र के साथ कोई नक्शा संलग्न नही है, इसके बावजूद 25/–रू. की राशि जमा नही करवाई गई है तथा मौका निरीक्षण के लिये भी 25/–जमा नही करवाये है, इस दृष्टि से आवेदन पत्र अपूर्ण प्रस्तुत किये है तथा नियमों के आवश्यक प्रावधानों की पालना नही की गई है।

उपर्युक्त समस्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की निगरानी स्वीकार योग्य है।

आदेश

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम1994 की धारा 97 में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत रायथल द्वारा जारी पट्टा सं. 35 दिनांक 25.5.2017 निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल सुदा मानी जाकर,नम्बर से कम होकर,बाद तकमील तरतीब के बाजाब्ता दफ्तर दाखिल हो।

(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

निर्णय,आज दिनांक 27.11.2017 को खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर